फर्द अहकाम

कन्हैयालाल बनाम नानगराम वगै.

न्यायालय AC-II

TIHO – 82/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	आज दिनांक 29/9/20 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कार्य स्थगित/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य से व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/11/20 को पेश हो।	
15/10/25	प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् शीघ्र सुनवाई पेश किये जाने पर पत्रावली नियत पेशी दिनांक 04.11.2025 से पूर्व आज पेशी पर सुनवाई हेतु नियत की गई। वकील अप्रार्थीगण के अधिवक्ता भी उपस्थित है। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल शर्मा द्वारा वकालतनामा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3, व 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 व धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम व पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी/वादी संख्या 1 कन्हैयालाल पुत्र कल्याण बक्श का स्वर्गवास दिनांक 19.04.2019 को हो चुका है जिनके विधिक वारिसान 1/1 से 1/4 है तथा 1/4 का भी देहांत हो चुका है जिसके वारिसान 1/4/1 है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी के स्थान पर उनके वारिसान को प्रतिस्थापित किया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्रों की नकल दिलाई जाकर प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना गया। बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद परिसीमन 100/– (अक्षरे – एक सौ रूपये) शास्ती पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थी/वादी संख्या 1 कन्हैयालाल के वारिसान 1/1 से 1/4/1 को पक्षकार मुकदमा बनाया जाता है। वकील वादी को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित उनवान पेश करें, इतना लिखे जाने पर वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित उनवान पेश किया गया। शामिल मिसल किया गया। उपस्थित प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रा करने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को विड्रा किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की नकल वकील अप्रार्थीगण को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। जब प्रार्थीगण स्वयं ही प्रार्थना पत्र को विड्रा करना चाहते है तो प्रार्थना पत्र को चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रा से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दर्ज नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।	वकील अप्रार्थी [illegible] 15-10-25 [illegible] [illegible] Kuldeep [illegible] [illegible] Rahul (वादी)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय